रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 2018/माघ 30, 1939
No. 92] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 2018/MAGHA 30, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2018

आय-कर

सा.का.नि. 176(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कक) और (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के भाग 4 के 'नियम 17क' के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"खैराती या धार्मिक न्यास, आदि के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

17. क (1). खैराती या धार्मिक न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कक) या खंड (कख) के अधीन आवेदन प्ररुप 10क में किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे, अर्थात् :-

(क) जहां न्यास का सृजन या संस्था की स्थापना; किसी लिखत के अधीन की जाती है, वहां न्यास का सृजन या संस्था की स्थापना करने वाली लिखत की स्वप्रमाणित प्रति ;

(ख) जहां न्यास का सृजन या संस्था की स्थापना, 'एक लिखत के अधीन से भिन्न की जाती है, वहां न्यास के सृजन या संस्था की स्थापना का साक्ष्य होने वाले दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति ;

(ग) यथास्थिति, कंपनी रजिस्ट्रार या फर्म और सोसायटी के रजिस्ट्रार अथवा लोकन्यास के रजिस्ट्रार, के साथ रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति ;

(घ) उद्देश्यों को अंगीकृत करने या उपांतरित करने का साक्ष्य देने वाले दस्तावेज, यदि कोई हो, की स्वप्रमाणित प्रति;

(ड.) जहां कोई न्यास या संस्था किसी वित्तीय वर्ष जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है के दौरान या से पूर्व विद्यमान है, वहां ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों जिसके लिए ऐसा लेखा स्थापित किया गया है (ऐसे वर्ष जिसमें उक्त आवेदन किया गया है से ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अनधिक न हो) से संबंधित न्यास या संस्था के वार्षिक लेखों की स्वप्रमाणित प्रति ;

(च) न्यास या संस्था के क्रियाकलापों पर टिप्पण;

(छ) धारा 12 क या धारा 12कक, जैसा भी मामला हो, के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले विद्यमान आदेश की स्वप्रमाणित प्रति; और

(ज) यथास्थिति, धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आवेदन को अस्वीकृत करने वाले आदेश यदि कोई हो की स्वप्रमाणित प्रति।

(2) प्ररुप 10क इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, --

(i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि आयकर विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है;

(ii) खंड (i) के अधीन नहीं आने वाले मामले की दशा में इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से।

(3) प्ररुप 10क ऐसे व्यक्ति द्वारा जो निर्धारिती पर यथा लागू धारा140 के अधीन आयकर विवरण के सत्यापन के लिए प्राधिकृत है, सत्यापित किया जाएगा।

(4) प्रधान महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक, आयकर (प्रणाली) जैसा भी मामला हो, प्ररुप 10क में प्रस्तुत किए जाने या सत्यापित किए जाने वाले आंकडा संरचना, मानक और प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेंगे और इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्ररुप के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और सुधार नीतियों को निश्चित करने और क्रियान्वित करने के लिए दायी होगा। ''

3. मूल नियमों के उपाबद्ध 2 में 'प्ररुप सं 10 क', के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :-

'प्ररुप सं. 10क

(नियम 17क देखें)

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कक) या खंड (कख) के अधीन खैराती या धार्मिक न्यास अथवा संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

आधारभूत सूचना	**पैन** A B C D E 1 2 3 4 F	**नाम**	
	फ्लैट/डोर/ब्लाक सं. परिसर/भवन/ग्राम का नाम		सड़क/गली/पोस्ट आफिस

क्षेत्र /स्थानीयता	कस्बा/शहर/जिला	राज्य (चयन)	देश (चयन)
पिन कोड	न्यास या संस्था का प्रकार (चयन) खैराती ☐ धार्मिक ☐ खैराती-सह-धार्मिक ☐		
प्रबंध न्यासी या अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए की मोबाइल सं.	प्रबंध न्यासी या अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए का ई-मेल सं.		

विधिक प्रास्थिति

कृपया विनिर्दिष्ट करें कि न्यास या संस्था निम्नलिखित है (किसी एक का चयन करें)

- ○ ________________________________ लोक न्यास के अधीन गठित(कृपया उस अधिनियम का नाम विनिर्दिष्ट करें जिसके अधीन लोक न्यास के रुप में गठन किया गया है)
- ○ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या भारत के किसी भाग में प्रवृत्त उस अधिनियम के तत्स्थानी किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है (कृपया उस विधि का नाम विनिर्दिष्ट करें जिसके अधीन न्यास या संस्था रजिस्ट्रीकृत है)
- ○ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।
- अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
- ○ ________________________

न्यास की दशा में

2. कर्ता(कर्ताओं)/संप्रवर्तक(संप्रवर्तको) के ब्यौरें।

क्र. स.	नाम	पेन	आधार सं (यदि आबंटित की गई है)	पता

न्यास/सोसाइटी/कंपनी/ अन्य संस्थाओं की दशा में

3. आवेदन दाखिल करने की तारीख को न्यासी/ कार्यालय वाहक/निदेशक के ब्यौरें।

क्र. स.	नाम	पद	पेन	आधार सं (यदि आबंटित की गई है)	पता

प्रयोजन	4.	खैराती और धार्मिक सह खैराती न्यास की दशा में, कृपया न्यास/संस्था के उद्देश्य विनिर्दिष्ट करे	☐ शिक्षा
		☐ धार्मिक ☐ गरीब को सहायता	☐ चिकित्सा सहायता
		☐ योग	☐ स्मारकों या कलात्मक और ऐतिहासिक हित के अन्य स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण
		☐ पर्यावरण का संरक्षण *(जिसके अन्तर्गत जलविभाजन, वन और वन्यजीव भी हैं।)*	
		☐ साधारण लोक उपयोगिता के अन्य उद्देश्य (उद्देश्यों) की उन्नति (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

धारा 12(1) (कख) के अधीन आवेदन	5.	धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (कख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की दशा में :	हां/नहीं
	5 क.	यदि हां, कृपया विद्यमान रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे प्रस्तुत करें (सुसंगत आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें):	

रजिस्ट्रीकरण की तारीख								प्रभावी होने की तारीख	रजिस्ट्रीकरण सं.	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का पद और स्थान
ता	ता	मा	मा	व	व	व	व			

5 ख.	उद्देश्य के उपांतरण की तारीख	ता	ता	मा	मा	व	व	व	व

प्रकीर्ण	6.	क्या न्यास विलेख में यह खंड अन्तर्विष्ट है कि न्यास अप्रतिसंहरणीय है?	हां/नहीं/लागू नहीं होता (न्यासों से भिन्न आवेदकों की दशा में)
	7.	क्या पूर्व में आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए किए गए आवेदन को अस्वीकृत किया गया है?	हां/नहीं
	7 क.	यदि हां, तब कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें :	

आदेश सं.	आदेश की तारीख								प्राधिकारी, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया था
	ता	ता	मा	मा	व	व	व	व	

8.	क्या आवेदक एफसीआरए, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है?	हां/नहीं

	8 क.	यदि हां, तब कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें:	रजिस्ट्रीकरण सं.	रजिस्ट्रीकरण की तारीख							
				ता	ता	मा	मा	व	व	व	व

मैं____________, पुत्र/पुत्री__________, यह घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन में दिए गए ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

मैं न्यास या सोसाइटी या गैर-लाभकारी कंपनी की किन्हीं निबंधनों में अथवा इसके पश्चात् किसी समय बनायी गयी संस्था को शासित करने वाले नियमों में कोई परिवर्तन होने पर तत्काल संसूचित करने का वचन देता हूं।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं यह आवेदन...................(पद) की क्षमता में कर रहा हूं और मैं यह आवेदन करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान: तारीख: हस्ताक्षर

पद ____________________________________

पता ____________________________________

संलग्न	1. ऐसे लिखत की प्रमाणित प्रति, जिसके अधीन न्यास या संस्था सृजित या स्थापित की गई थी, यदि लागू हो। 2. न्यास के सृजन या संस्था की स्थापना के साक्ष्य होने वाले दस्तावेज की सत्यापित प्रति, यदि लागू हो। 3. आरओसी/फर्म और सोसाइटी के रजिस्टार/लोक न्यास के रजिस्टार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण की प्रमाणित प्रति, इनमें से जो लागू हो। 4. उद्देश्यों को अंगीकृत या उपांतरित करने का साक्ष्य होने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो। 5. वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्व अधिकतम तीन वर्षों के लिए न्यास या संस्था की वार्षिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, यदि लागू हो। 6. क्रिया-कलापों पर टिप्पण। 7. धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के विद्यमान आदेश की प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो।	8. धारा 12क या 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन के अस्वीकृत किए जाने के आदेश की प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो। 9. कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

[अधिसूचना सं. 10/2018/ फा.सं. 370142/14/2017-टीपीएल]

नीरज कुमार, अवर सचिव **(कर नीति और विधायन)**